एस–11011/1/2014–एसबीएम
भारत सरकार
पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय
स्वच्छ भारत मि ान (ग्रामीण)

12वीं मंजिल, र्प्यावरण भवन,
सीजीओ कंप्लेक्स, लोधी रोड,
नई दिल्ली 110003
दिनांक 18 फरवरी, 2015

सेवा में

प्रधान सचिव/सचिव
प्रभारी ग्रामीण स्वच्छता,
सभी राज्य/संघ भाासित क्षेत्र

विशय : स्वच्छ भारत मि ान : आईएचएचएल का निर्माण––उचित सुपर स्ट्रक्चर––के संबंध में

महोदय,

इस मंत्रालय के ध्यान में आया है कि कुछ राज्यों में आईएचएचएल के लिए उचित सुपर स्ट्रक्चर का निर्माण करने की बजाय आईएचएचएल के लिए कुछ बाड़े बनाए जा रहे हैं जो अस्थायी प्रकृति के होते हैं।

2. इस संबंध में एसबीएम (जी) गाइडलाइनों के पैरा 5.4 की ओर ध्यान आकर्शित किया जाता है जो आईएचएचएल के निर्माण के बारे में है।

इस पैरा में कहा गया है कि *''एक विधिवत पूर्ण घरेलू भाौचालय में एक प्रसाधन यूनिट होगी जिसमें एक सैनिटरी सब–स्ट्रक्चर होगा (जो मानव मल को निरापद रूप से एकत्रित रखता है और इसके पूरी तरह विघटित हो जाने से पूर्व इसे मानव द्वारा छेड़ने की आव यकता को समाप्त करता है), जल की सुविधा वाला एक सुपर–स्ट्रक्चर और सफाई तथा हाथ की धुलाई के लिए एक हैंड वा ा यूनिट होगी..... यह भी सुनि चत किया जाए कि वैयक्तिक घरेलू भाौचालयों की स्थिरता के लिए वे भाौचालय न्यूनतम डिजाइनगत वि ाश्टियों को पूरा करे।''*

3. अतः यह अनुरोध है कि आपके राज्य की संबंधित कार्यान्वयन एजेंसी लोगों में आईएचएचएल के निर्माण के समय अस्थायी प्रकार की संरचनाएँ न बनाने के बारे में जागरूक करे।

भवदीय,
हस्ता/–
सुजॉय मजुमदार
निदे ाक, एसबीएम

प्रतिलिपि :

1. राज्य एसबीएम कोऑर्डिनेटर (सभी राज्य/संघ भाासित क्षेत्र)
2. संयुक्त सचिव (मनरेगा), ग्रामीण विकास विभाग, कृशि भवन, नई दिल्ली को उनके अ.भा. पत्र सं. जे–11017/41/2011–मनरेगा (भाग), दिनांक 30 जनवरी के संदर्भ में ।